केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक), पटना–800001

(वेबसाइट – www.csbc.bih.nic.in)

संदर्भ – विज्ञापन संख्या–02/2022

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के 689 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन से संबंधित अंतिम परिणाम

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद की 689 रिक्तियों के विरूद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12.11.2022 को विज्ञापन संख्या 02/2022 राज्य के प्रमुख समाचार–पत्रों तथा पर्षद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

2. प्रकाशित विज्ञापन एवं बिहार गजट असाधारण अंक (सं0 पटना **942**) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2019 (अधिसूचना संख्या 4/ब1–102/2008–**6620**/गृ0आ0, दिनांक 14 अगस्त, 2019, समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लेखित प्रक्रिया एवं अन्यान्य लागू नियमानुसार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14.05.2023 (रविवार) को आयोजित की गयी तथा परीक्षाफल दिनांक 10.07.2023 को प्रकाशित किया गया।

3. लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 3445 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 21.08.2023, 31.08.2023, 01.09.2023 एवं 02.09.2023 को शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना–800002 में आयोजित की गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 2644 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 801 अनुपस्थित रहे।

4. बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना का पत्र संख्या–15440, दिनांक–05.12.2017 में स्पष्ट उल्लेखित है कि **"अनुरोध है कि उक्त प्रावधान के आलोक में फार्म 'xviiiA' के स्थान पर संशोधित फार्म 'xviiiB' के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला पूर्व निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र वैद्य मानते हुए इसे स्वीकार करने की कृपा की जाए"** एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या–12123, दिनांक–23.06.2023 के कण्डिका Vii में स्पष्ट वर्णित है कि **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन करने के पूववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि समस्त स्त्रोतों से होने वाली आयों को इसके प्रयोजनार्थ परिगणित किया जाएगा"।**

उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्रों में कुछ अभ्यर्थियों के संबंध में त्रुटि पाये जाने के कारण केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती), बिहार, पटना का कार्यालय ज्ञापांक–21/के0च0प0(सू0), दिनांक–16.10.2023 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र के लिए सूचना निर्गत किया गया, जो पर्षद की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है एवं बिहार संस्करण के सभी दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी में छापने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना भेजा गया था। उक्त सूचना को दिनांक–18.10.2023 के हिन्दूस्तान एवं अन्य अखबारों में छपा है तथा ज्ञापांक– 22/के0च0प0 (सू0), दिनांक–18.10.2023 के माध्यम से क्रिमिलेयर रहित प्रमाण–पत्र से संबंधित सूचना निर्गत किया गया है, जो पर्षद की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है एवं बिहार संस्करण के सभी दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी में छापने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना भेजा गया था जो दिनांक–27.10.2023 के हिन्दूस्तान एवं अन्य अखबारों में छपा है। सरकार के निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा अपना–अपना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु पुनः तिथि निर्धारित की गयी थी। **उक्त सूचना के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा अपना–अपना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।** उक्त समर्पित प्रमाण पत्रों के अवलोकनोंपरांत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के **67** अभ्यर्थी, तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के **246** अभ्यर्थी, कुल–**313** अभ्यर्थी को सरकारी नियमों के प्रतिकूल पाया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त अभ्यर्थियों को परीक्षाफल की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।

5. शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान निम्नांकित अभ्यर्थी विभिन्न चरणों में निम्नांकित कारणों से अयोग्य घोषित किए गए –

क्रमांक	विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या
1.	दौड़ में असफल	1471
2.	अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक माप जाँच में असफल	153
3.	त्रुटिपूर्ण EWS/NCL प्रमाण–पत्र समर्पित करने के कारण	313
4.	अन्य अभिलेख सत्यापन में अयोग्य	06

6. शारीरिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता रखने वाले कुल 701 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाये गए।

7. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग–अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान तथा ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019'' के प्रावधान लागू होंगे।

8. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या–4/ब1–102/2008–**6620**/गृ0आ0, दिनांक 14 अगस्त, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित), केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के **विज्ञापन संख्या 02/2022** तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –7/स्था0 (उ0सि0)–4–03/2013–**5411**, दिनांक **14.10.2022** द्वारा प्राप्त अधियाचना, पत्रांक –7/स्था0 (उ0सि0)–4–03/2013–**5889**, दिनांक **11.11.2022** एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) तथा , बिहार, पटना का पत्र संख्या–8/विविध–10–39/ 2021 गृ0आ0 **10733**, दिनांक **21.10.2022** के अधीन आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम रूप से आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार चयन हेतु अनुशंसा निम्नवत् किया जा रहा है।

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
मूल रिक्ति 689	178	94	272	47	21	68	74	40	114	05	02	07	78	46	124	56	27	83	21
14 FFW सहित	06 FFW सहित			01 FFW सहित			02 FFW सहित			00 FFW सहित			03 FFW सहित			02 FFW एवं 01 ट्रांसजेंडर सहित			00 FFW सहित
चयनित	171	94	265	27	21	48	62	32	94	02	02	04	75	46	121	52	27	79	21
चयनित FFW	05	00	05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
चयनित Transgender	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग	177	94	271	27	21	48	62	32	94	02	02	04	75	46	121	52	27	79	21
अग्रनीत पदों पर चयनित	00	01	01	01	17	18	00	00	00	00	01	01	00	03	03	00	04	04	00
कुल चयनित	177	95	272	28	38	66	62	32	94	02	03	05	75	49	124	52	31	83	21
शेष रिक्ति	00	00	00	02	00	02	12	08	20	02	00	02	00	00	00	00	00	00	00
चयनित कुल योग – 665																			

❖ उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है ।

❖ बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का गजट संख्या–284(अधिसूचना संख्या–2622), दिनांक–26 फरवरी 2019 की कण्डिका–7 "विनिमय"– में उल्लेखित प्रावधान

के आलोक में **खुली गुणागुण कोटि के एक उम्मीदवार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक रिक्ति को भरा गया।**

- ❖ बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या–11/आ0नी0–I –11/201–सा0प्र0–2342, दिनांक–15.02.2023 के कण्डिका– "ग" में वर्णित प्रावधान के आलोक में **महिला अभ्यर्थियों ने गुणागुण के आधार पर पुरूषों की कोटि में स्थान प्राप्त किया है। इनकी संख्या को उपर्युक्त सारणी में "अग्रनित पदों पर चयनित" के रूप में दर्शाया गया है।**
- ❖ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी गुड़िया कुमारी, रौल नं0–7518110310, पिता का नाम– श्रीपति साह का चयन औपबंधिक रूप से किया गया है। संबंधित प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत इनकी नियुक्ति के संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकार को संसूचित किया जायेगा।

9. योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में **24** रिक्तियाँ शेष रह गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों में **269 महिलाएँ, 395 पुरूष एवं 01 ट्रांसजेंडर** हैं।

10. उपरोक्तानुसार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवारों के अनुक्रमांक निम्नवत् हैं।

(यह सूची अनुक्रमांकवार है, इसे मेधा सूची न समझा जाए)

7510010016	7511090467	7513030072	7517010361	7517340177
7510010170	7511100085	7513040098	7517010936	7518010239
7510011137	7511100517	7513050298	7517020564	7518010903
7510011327	7511100686	7513060245	7517040868	7518020713
7510040512	7511110068	7513080392	7517050296	7518020898
7510060026	7511120181	7513090358	7517050438	7518030579
7510060314	7511120348	7514010541	7517060071	7518030606
7510090018	7511130353	7514010722	7517060605	7518070259
7510090458	7511160459	7514030130	7517070077	7518070548
7510090497	7511170465	7514040195	7517070338	7518080095
7510100133	7511220079	7514060075	7517080128	7518080262
7510100146	7511230375	7515010135	7517080228	7518090581
7510100402	7511230406	7515020925	7517110712	7518100179
7510100447	7511260006	7515030048	7517120060	7518100271
7510120173	7511260098	7515030862	7517120196	7518120405
7510120253	7512010342	7515040500	7517120216	7518140367
7510120556	7512010459	7515040591	7517120319	7518150228
7510130438	7512010709	7515050640	7517120404	7518150488
7510140120	7512010787	7515060265	7517120445	7518160108
7510170147	7512010855	7515060317	7517120463	7518170109
7510190001	7512011205	7515080036	7517120532	7518170383
7510190145	7512011212	7515080382	7517120655	7518190182
7510200240	7512011271	7515080537	7517130684	7518200385
7510200468	7512011549	7515100469	7517150310	7518210336
7510200496	7512020437	7515110563	7517150434	7519010156
7510230119	7512020523	7515120040	7517160067	7519030636
7510230200	7512021049	7515140170	7517160174	7519040061
7510230454	7512021531	7515140305	7517170639	7519040237
7510240386	7512030206	7515160276	7517180593	7519060295
7510250016	7512030306	7515170082	7517190420	7519070010
7510250073	7512030355	7515180159	7517210070	7519070108
7510250186	7512030633	7515190099	7517210341	7519070564
7510250334	7512030762	7516020188	7517210342	7519080106
7510260084	7512050608	7516020393	7517210363	7519080125
7510260118	7512070236	7516020689	7517210397	7519080241
7510270277	7512080062	7516040580	7517210452	7519080274
7510280148	7512080153	7516050383	7517210464	7519080418
7511020325	7512080205	7516050541	7517210493	7519090186
7511030040	7512100184	7516070188	7517210524	7519090448
7511031156	7512110218	7516090253	7517220382	7519100417
7511040108	7512110222	7516100359	7517220465	7519100584
7511040445	7512140247	7516120126	7517230527	7519110111
7511040941	7513010011	7516160175	7517260230	7519110274
7511050393	7513010102	7516170290	7517270369	7519110288
7511050599	7513010155	7516190156	7517320177	7519120300
7511070108	7513010665	7517010086	7517330227	7519130105
7511080679	7513020179	7517010168	7517330286	7519150066

7519150094	7521200232	7525170212	7528110396	7530050004
7519160398	7521210107	7525240382	7528130452	7530050542
7519170091	7521240225	7525250285	7528130453	7530060532
7519170373	7521250117	7526020502	7528130523	7530080152
7519180241	7521260016	7526030367	7528150100	7530080541
7519180294	7522010053	7526080114	7528150530	7530150133
7519190037	7522010217	7526090001	7528170248	7530150140
7519210297	7522010331	7526090311	7528170314	7530160080
7519220032	7522010377	7526090435	7528180429	7530180059
7519230332	7522010413	7526100155	7528190300	7530210180
7520020068	7522010432	7526100163	7528200074	7531010032
7520020091	7522010446	7526100197	7528200135	7531010381
7520020153	7522010532	7526100209	7528210091	7531011093
7520020373	7522040407	7526120032	7528210288	7531020101
7520020684	7522050193	7526130030	7528220194	7531020210
7520030220	7522070460	7526130399	7528230236	7531020607
7520030349	7522110185	7526140344	7528230433	7531030271
7520030473	7522110289	7526180239	7528240150	7531030509
7520040010	7522110424	7526210075	7528240406	7531030558
7520040350	7522120336	7526220032	7528280100	7531050021
7520040438	7522160170	7527020368	7528280214	7531050083
7520040468	7522170129	7527020503	7528290031	7531060282
7520060035	7522180283	7527040766	7528290212	7531070326
7520060298	7522230148	7527050020	7528290281	7531070558
7520080361	7522240268	7527050341	7528300128	7531080435
7520090120	7522250014	7527070281	7528320258	7531080529
7520100154	7523010062	7527070372	7528330213	7531090218
7520110078	7524050003	7527070697	7528340189	7531100301
7520130201	7524050228	7527080485	7528350265	7531130415
7521010142	7525010331	7527130237	7528370213	7531140181
7521010143	7525010481	7527130355	7528390024	7531150121
7521010565	7525011019	7527140257	7528390192	7532020002
7521010647	7525011021	7527150126	7528390210	7532030150
7521011006	7525020034	7528010986	7529010137	7532040138
7521020034	7525020167	7528010987	7529020424	7532040211
7521020121	7525020908	7528011068	7529030276	7532040312
7521020685	7525040212	7528020107	7529030513	7532040332
7521050041	7525050411	7528020786	7529040442	7532040581
7521080467	7525050558	7528030262	7529050067	7532050197
7521110397	7525060392	7528030282	7529050358	7532050262
7521120361	7525090085	7528040384	7529070586	7532050512
7521130048	7525120382	7528060078	7530010043	7532050550
7521160033	7525120495	7528060300	7530020166	7532070252
7521160270	7525120565	7528060502	7530020242	7532080144
7521180060	7525130010	7528080072	7530020411	7532080339
7521190103	7525130160	7528090381	7530030545	7532080348
7521190382	7525170001	7528100017	7530030700	7532090370

7532100064
7532120186
7532130206
7532130328
7532160110
7532160151
7532160183
7532170053
7533010074
7533010307
7533010700
7533020197
7533030093
7533040045
7533040318
7533050110
7533070261
7533080497
7533090197
7533100414
7533120252
7533130217
7533140175
7534011017
7534020526
7534040102
7534060177
7534060505
7534060516
7534070026
7534070080
7534070241
7534080122
7534080133
7534080149
7534090444
7535020158
7535040291
7535070172
7535080140
7535090023
7536010549
7536020037
7536030502
7536040567
7536080060
7536080383
7536110228
7536120342
7536130060
7536140032
7536140264
7536180008
7537040065
7538010615
7539050351
7539070251
7539070344
7539080215
7539080300
7539090083
7539180160
7540010158
7540010190
7540010259
7540010344
7540010363
7540010453
7540010522
7540010552
7540020040
7540020269
7540020568
7540050340
7540060155
7540060175
7540070242
7540100056
7540100313
7540140153
7540160026
7540240285
7540240312
7540270005
7540310046
7540310097
7541010667
7541060096
7541070369
7541080054
7541080173
7541090405
7541110265
7541120368
7541150044
7541160017
7541160021
7541170160
7541170262
7541180182
7541210021
7541230251
7541240029
7541240080
7542010422
7542010492
7542020167
7542020341
7542030168
7542030237
7542070011
7542070135
7542090149
7542110052
7542110106
7542120269
7543010203
7543010401
7543020526
7543020529
7543020541
7543030027
7543030065
7543050002
7543050011
7543070126
7543070327
7543080301
7543080302
7543080332
7543090052
7543090218
7543100308
7543100337
7544010257
7544010443
7544010797
7544020375
7544040348
7544100039
7544100300
7544100337
7544110024
7545030132
7545040038
7545060238
7545070005
7545070349
7545070395
7545080370
7545090084
7545120206
7545150127
7545150284
7546020090
7546020612
7546030087
7546050297
7546050298
7546050428
7546060203
7546070237
7546080162
7546110106
7547010541
7547011453
7547011952
7547011976
7547012691
7547020074
7547020872
7547021203
7547021287
7547030113
7547030177
7547030201
7547030301
7547030337
7547040064
7547040973
7547050179
7547050210
7547050249
7547050405
7547060123
7547060212
7547060358
7547060477
7547060677
7547070079
7547070207
7547070272
7547090143
7547100021

7518110310
(PROVISIONAL)

11. विभिन्न आरक्षण कोटियों के कट्–ऑफ मार्क्स निम्नवत् हैं –

Advt. No. 02/2022 Prohibition Constable FINAL RESULT - CATEGORY WISE CUT OFF MARKS					
Category	**TOTAL CANDIDATE SELECTED**	**Remarks**	**Male**	**Female**	**FFW Male**
General	272	Cut off Marks	66	64	58
		Cut off DoB	01.09.2001	05.02.1999	12.04.1996
EWS	66	Cut off Marks	42	42	-
		Cut off DoB	11.06.1999	05.06.2000	-
SC	94	Cut off Marks	42	42	-
		Cut off DoB	10.02.1997	22.12.2003	-
ST	05	Cut off Marks	54	46	-
		Cut off DoB	15.07.1999	18.11.1999	-
EBC	124	Cut off Marks	50	50	-
		Cut off DoB	06.12.1999	15.01.2000	-
BC	83	Cut off Marks	54	54	-
		Cut off DoB	04.06.1996	16.10.1996	-
BCW	21	Cut off Marks	-	50	-
		Cut off DoB	-	08.12.1998	-
Total	665				

12. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार ''आयुक्त उत्पाद, बिहार'' को प्रेषित की जाती है।

13. **<u>अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान</u> :–** मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के नियुक्ति प्राधिकार – ''आयुक्त उत्पाद, बिहार'' द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ–साथ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने की स्थिति में नियुक्ति का निर्णय न्यायादेश के आधार पर लिया जाएगा।

14. **<u>चिकित्सकीय परीक्षण</u> :–** मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के पद पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार – ''आयुक्त उत्पाद, बिहार'' द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

15. चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के कार्यालय में दिनांक **17.11.2023 से 16.12.2023** तक व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि तक योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। योगदान एवं नियुक्ति के संबंध में अग्रेतर निर्देश एवं सूचनाएँ नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत की जाएगी ।

16. चयनित अभ्यर्थी निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों को योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे-

(i) वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि।

(ii) इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र।

(iii) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)।

(iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

(v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/ अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। **(कण्डिका-4 दृष्टव्य)**

(vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी (यदि लागू हो तो) होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-11687/सा0प्र0, दिनांक-30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार।

(viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में। **(कण्डिका-4 दृष्टव्य)**

(ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा

में न्यूनतम तीन वर्षो की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे।

(x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा।

(xi) किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उनके ट्रांसजेन्डर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा।

17. प्रेस में मुद्रण अथवा टंकण की अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा ।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

<u>ज्ञापांक–02/के0च0प0(प0परि0)</u>

दिनांक– **13.11.2023**

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक), पटना–800001

प्रतिलिपि :–

1. **सचिव**, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
2. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना